रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-244007 CG-DL-E-01032023-244007

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] No. 139] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2023/फाल्गुन 8, 1944 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2023/PHALGUNA 8, 1944

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसुचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2023

आधार (अधिप्रमाणन एवं ऑफलाइन सत्यापन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 (2023 का संख्या 01)

फा. सं. एच.क्यू.-13011/2/2021-ऑथ-II (2023 का संख्या 01).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 यथासंशोधित आधार एवं अन्य विधियां (संशोधित) अधिनियम 2019 (19 की संख्या 14) की धारा 54 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के उप-खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आधार (अधिप्रमाणन एवं ऑफलाइन सत्यापन) अधिनियम, 2021 के विनियम 12(1) व (2) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

भाग-।

प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
 - a. इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन एवं ऑफलाइन सत्यापन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 (2023 का संख्या 01) कहा जाएगा।
 - b. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

1278 GI/2023 (1)

भाग-॥

2. विनियम 12(1) में संशोधन: मूल विनियम के वर्तमान विनियम 12(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:

"प्राधिकरण द्वारा प्रावधानित अधिप्रमाणन सुविधाओं के उपयोग के लिए अनुरोधकर्ता संस्था बनने की इच्छुक एजेंसियां, प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य हेतु समय समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रियानुसार अनुरोधकर्ता संस्था के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन करेंगी, बशर्ते की प्रमाणीकरण सेवाओं की आवश्यकता जिन उद्देश्यों हेतु हो, वो अधिनियम की धाराओं 4(4) (b) (i) अथवा 4(4) (b) (ii) अथवा 4(7) अथवा 7 के प्रावधानों के तहत अनुमत हों।"

3. विनयम 12 (1) के अनुसूची 'क' का विलोपन:

मूल विनयम के विनयम 12(1) की अनुसूची 'क' को विलोपित किया जाता है।

4. विनियम 12(2) में संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 12(2) में "अनुसूची ख " को "अनुसूची क" पढ़ा जाए।

5. विनयम 12 (2) के अनुसूची 'ख' में संशोधन:

मृल विनियम के विनियम 12(2) की "अन्सूची ख" को "अन्सूची क" पढ़ा जाए।

डॉ. सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./665/2022-23]

टिप्पणी: मूल विनियम अधिसूचना संख्या के-11020/240/2021/ऑथ/यूआईडीएआई (2021 का संख्या 2), दिनांक 08 नवम्बर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 542, दिनांक 09 नवम्बर, 2021 में प्रकाशित किए गए। इन विनियमों को तत्पश्चात संशोधित कर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 781 में दिनांक 04 फरवरी 2022 को अधिसूचना संख्या के-11020/240/2021/ऑथ/यूआईडीएआई (2022 का संख्या 1), द्वारा दिनांक 04 फरवरी 2022 को प्रकाशित किया गया।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2023

THE AADHAAR (AUTHENTICATION AND OFFLINE VERIFICATION) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

(No. 01 of 2023)

F. No. HQ-13011/2/2021-AUTH-II (No. 01 of 2023).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and sub-clauses (a) of sub-section (2) of Section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 as amended vide the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (No. 14 of 2019) hereby makes the following amendment in Regulation 12(1) and (2) of the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021, namely:—

Part I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) (Second Amendment) Regulations, 2023 (No. 01 of 2023).
- (2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Part II

2. **Amendment of Regulation 12(1):** Existing Regulation 12(1) of the principal Regulation shall be substituted as following:—

"Agencies seeking to become requesting entities to use the authentication facility provided by the Authority shall apply for appointment as requesting entities in accordance with the procedure as may be specified by the Authority for this purpose from time to time provided that the purpose, for which authentication services are required, is permitted under the provisions of Sections 4(4) (b) (i) or 4(4) (b) (ii) or 4(7) or 7 of the Act."

3. Deletion of Schedule A to Regulation 12(1):

Schedule A to Regulation 12(1) of the principal Regulation stands deleted.

4. Amendment of Regulation 12(2):

In Regulation 12(2) of the principal Regulation, words "Schedule B" shall be read as "Schedule A".

5. Amendment of Schedule B to Regulation 12(2):

"Schedule B" to Regulation 12(2) of the principal Regulation shall be read as "Schedule A".

Dr. SAURABH GARG, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./665/2022-23]

Note: The Principal regulations were published *vide* Notification no. K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 2 of 2021), dated 08th November, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III Section 4, No. 542, dated 09th November, 2021. These regulations were subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III-Section 4, No. 781, dated 4th February, 2022 *vide* Notification no. K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 1 of 2022), dated 4th February, 2022.